

क्या आप जनरेटिंग सेट लगवाना चाहते हैं ?

यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित प्राविधानों का अनुपालन करना न भूलें :-

1. अपने जनरेटिंग सेट से सम्बन्धित इलेक्ट्रीकल ड्रॉइंग (ले-आउट, एसएलडी) का अनुमोदन मुख्य विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन, हल्द्वानी से करायें।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी को जनरेटर लगाने की सूचना दें।
3. अपने जनरेटिंग सेट से सम्बन्धित विद्युत अधिष्ठापन का कार्य राजकीय लाईसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से करवायें।
4. कार्यपूरक प्रमाण-पत्र, मैनुफैक्चरर्स टेस्ट सर्टीफिकेट, साईट टेस्ट रिपोर्ट तथा निरीक्षण शुल्क का कोषागार चालान विद्युत सुरक्षा विभाग को उपलब्ध करवा कर निरीक्षण करवायें तथा जनरेटर को चलाने की लिखित रूप से अनुमति प्राप्त कर लें।

पीछे

होम